

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दिनांक ..... खनाम .....  
 पत्र संख्या ...../ अन्तर्गत धारा.....

क्रमांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं ति जो इस आदे पालना में ज
५७ २२	<p>अधिवक्तागण उपस्थित सुनकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर गम्बर से कम होकर दाखिल वकूत हो।</p>	



*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर

